

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक : व-15 (10)आवासन/सूचना का अधिकार अधि./2016/ 2594 दिनांक : 16/09/2020

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमानुसार क्रियान्विति सुनिश्चित की जाने हेतु धारा 5 की उपधारा (1) एवम् (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आवासन शाखा, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान से निम्नानुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी एवम् प्रथम अपील अधिकारी पदाभिहित किये जाते हैं :-

क्र.स.	कार्यालय	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
1.	पुलिस आवासन शाखा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस आवासन, राजस्थान, जयपुर।	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुलिस आवासन, राजस्थान, जयपुर।

(भूपेन्द्र सिंह)

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, ओ.टी.एस. चौराहा, झालाना लिंक रोड, जे.एल. एन. मार्ग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासन सुधार एवम् समन्वयक विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त महानिरीक्षकगण, पुलिस राजस्थान, पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
3. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर।
4. समस्त पुलिस अधीक्षकगण/पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय जयपुर/जोधपुर।
5. पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सीबी, राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सीबी, राजस्थान जयपुर एवं नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
7. स्टेट कन्ट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रभारी, वेबसाइट सैल, पुलिस दूरसंचार, घाटगेट, जयपुर को उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. प्रभारी "अ" ब्रान्च, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।